



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31012026-269711
CG-DL-E-31012026-269711

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 72]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 30, 2026/माघ 10, 1947

No. 72]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 30, 2026/MAGHA 10, 1947

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
(कृषि और किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 2026

सा.का.नि. 73(अ).— कीटनाशी नियम, 1971 का और संशोधन करने के लिए निम्निखित प्रारूप नियम, जिन्हें केंद्रीय सरकार कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 36 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है, उक्त धारा की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों की, जिनकी उससे प्रभावित होने की सम्भावना है, जानकारी के लिए प्रकाशित किए जाते हैं और सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख से, जिसको भारत के राजपत्र में, यथाप्रकाशित, इस अधिसूचना की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, तीस दिन की समाप्ति के पश्चात विचार किया जाएगा;

ऐसे आक्षेपों और सुझावों पर, जो तीस दिन की पूर्वोक्त अवधि के समाप्त होने से पहले उक्त प्रारूप नियम के संबंध में किसी व्यक्ति से प्राप्त हो सकेंगे, केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा;

उक्त मसौदा नियमों के संदर्भ में, आपत्तियां तथा सुझाव संयुक्त सचिव (पादप संरक्षण), कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली-110001 को अथवा muktanand.ias08@nic.in पर ईमेल के माध्यम से भेजे जाएँ।

प्रारूप नियम

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ: (1) इन नियमों को कीटनाशी (संशोधन) नियम, 2026 कहा जाएगा।
(2) ये राजपत्र में इनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. कीटनाशी नियम, 1971 (इसके बाद उक्त नियमों के रूप में संदर्भित) में, नियम 10 में, उप-नियम 1 (क) के दूसरे पैरा में, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

“कृषि या बागवानी या संबंधित विषयों में एक वर्षीय डिप्लोमा कोर्स या राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान (मैनेज) से एक वर्षीय इनपुट डीलरों के लिए कृषि विस्तार सेवाओं में डिप्लोमा या सरकार द्वारा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान जिसमें पौध संरक्षण और कीटनाशक प्रबंधन पर पाठ्यक्रम सामग्री निहित हो:

इसके अलावा, सभी व्यक्ति जिन्होंने कीटनाशक अनुप्रयोग और कीटनाशक अवशेषों और उपभोक्ता सुरक्षा पर माँग्यूल को शामिल करने से पहले इनपुट डीलरों के लिए कृषि विस्तार सेवाओं में डिप्लोमा (डीएईएसआई) पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है, उन्हें उक्त पाठ्यक्रम के लिए सरकार द्वारा विधिवत मान्यता प्राप्त किसी संस्थान या एजेंसी से कीटनाशक प्रबंधन में कोर्स सर्टिफिकेट (सीसीआईएम) प्राप्त करना होगा;”

[फा. सं. 13035/28/2014-पीपी-1(खंड viii)]

मुक्तानंद अग्रवाल, संयुक्त सचिव (पादप संरक्षण)

टिप्पणी: मूल नियम, भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 1650(अ), तारीख 19 अक्टूबर, 1971 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और सा.का.नि. सं. 567 (अ) तारीख 21 अगस्त, 2025 द्वारा अंतिम बार संशोधन किए गए।

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE
(Department of Agriculture and Farmers Welfare)
NOTIFICATION

New Delhi, the 30th January, 2026

G.S.R. 73(E).— The following draft rules further to amend the Insecticides Rules, 1971, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 36 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968), is hereby published, as required by the said section, for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rule shall be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date on which copies of this notification as published in the Gazette of India are made available to the public;

Objections or suggestions which may be received from any person in respect of the said draft rule before the expiry of the aforesaid period of thirty days will be considered by the Central Government;

Objections and suggestions in respect to the said draft rule may be forwarded to the Joint Secretary (Plant Protection), Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Agriculture and Farmers Welfare, Krishi Bhawan, New Delhi-110 001 or through email at muktanand.ias08@nic.in .

Draft Rules

1. **Short title and Commencement:** (1) These rules may be called the Insecticides (Amendment) Rules, 2026.
(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.
2. In the Insecticides Rules, 1971 (hereinafter referred to as the said rules), in Rule 10, in second para of sub- rule 1(A), following shall be substituted:-

“One-year diploma course in Agriculture or Horticulture or related subjects or one year Diploma in Agricultural Extension Services for Input Dealers (DAESI) from National Institute of Agricultural Extension Management (MANAGE) or any government recognized university or institute with course content on plant protection and pesticides management:

Further, all individuals who have previously completed the Diploma in Agricultural Extension Services for Input Dealers (DAESI) Course prior to the inclusion of the modules on Pesticide Application and Pesticide Residues & Consumer Safety shall be required to undergo a Certificate Course in Insecticides Management (CCIM) from an institution or agency duly recognized by the Government for the said course;”

[F. No. 13035/28/2014-PP-I(vol.viii)]

MUKTANAND AGRAWAL, Jt. Secy. (Plant Protection)

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 1650 (E), dated the 19th October, 1971 and was last amended *vide* G.S.R. 567 (E) dated 21st August, 2025.